फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मुकेश चन्द्र गाडरी निवासी लाठिया खेडी, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 31 / 2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांकः एफ.1()सू0अ0,05 / प्र.अपील / 2024 / 2052 दिनांक 02.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 29.03.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के राजस्व अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को पत्रांक 2006 दिनांक 16.04.2024 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 677 दिनांक 29.04.2024 से इस कार्यालय के उपलब्ध अभिलेख अनुसार सूचना उपलब्ध कराई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 2043 दिनांक 02.05.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को प्रेषित कि गई। दिनांक 06.05.2024 को अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मेरे द्वारा चाही गई सम्पूर्ण सूचना मुझे नही मिली हैं। अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अंपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को जरिये पृष्ठाकंन क्रमांकः एफ.1()सू0अ0,05 / प्र.अपील / 2024 / 2052 दिनांक 02.05.2024 से उपलब्ध करवा दी हैं। लेकिन अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने से लोक सूचना अधिकारी अति.	

जिला कलक्टर राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना की समस्त पत्रावलीयॉ नियमानुसार उपलब्ध करावें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)